

भाग-iv

प्रस्ताव सं०- 48/07/2020

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा

के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और C.F. Bandy की संस्तुति
निर्दिष्ट सिफारिशें। के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती हैं।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन
संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की
जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Rural Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P., Lucknow

नाम-

सरकारी मोहर

दिनांक- 22/8/2020

स्थान-